संख्या–3603/12–3–2012–100(71)/2012

प्रेषक,

देवाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 9-1-2013 ~~दिसम्बर, 2012~~

विषय– प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही भूमि संरक्षण योजनाओं में सम्पादित कार्यो के भौतिक सत्यापन हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–भू0सं0/अभि0/शि.–211/2012–13, दिनांक 19.9.2012 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–3112/12–3–12–100(71)/2012, दिनांक 18.10.2012 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में कियान्वित की जा रही विभिन्न भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाओं में विभिन्न स्तरों के लिए प्रतिमाह भौतिक सत्यापन हेतु निम्नवत् मानकों का निर्धारण किया जाता हैः–

(1)– कृषि निदेशक प्रत्येक माह एक परियोजना के निरीक्षण के साथ–साथ उक्त परियोजना के मुख्य–मुख्य कार्यो का भौतिक सत्यापन करेंगे।

(2)– अपर कृषि निदेशक (भू.सं.) प्रत्येक माह दो–दो परियोजनाओं के निरीक्षण के साथ–साथ कम से कम एक परियोजना के भौतिक सत्यापन करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भूमि संरक्षण मण्डल को कम से कम एक भूमि संरक्षण इकाई का निरीक्षण उनके द्वारा अवश्य किया जाय।

(3)– मुख्यालय पर कार्यरत संबंधित योजनाओं के प्रत्येक संयुक्त कृषि निदेशक प्रत्येक माह में अपनी योजना से संबंधित तीन–तीन परियोजनाओं का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करेंगे।

(4)– मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक अपने मण्डल में कार्यरत भूमि संरक्षण इकाइयों में से प्रत्येक माह दो–दो परियोजनाओं के सम्पादित कार्यो का निरीक्षण एवं शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से सम्पादित करेंगे।

(5)– उप कृषि निदेशक (भू.सं.) अपने क्षेत्राधिकार में बनने वाली प्रत्येक इकाई की प्रतिमाह एक–एक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण तथा उसका शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेंगे। इस कार्य में मण्डलीय प्राविधिक अधिकारी उनका सहयोग करेंगे।

(6)– प्रत्येक भूमि संरक्षण अधिकारी अपनी इकाई के प्रत्येक उप इकाई की दो–दो परियोजनाओं का प्रतिमाह शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी इकाई में सम्पादित कार्यो का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्तरों में अवश्य पूर्ण कर लिये जायें।

(7)– प्रत्येक इकाई में कच्चे कार्यो का निष्पादन प्राविधिक सहायक ग्रुप–सी द्वारा कराया जायेगा, जिसका मापन वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप–बी द्वारा किया जायेगा। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप–बी द्वारा मापित कार्यो का सत्यापन अवर अभियन्ता एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप–ए द्वारा किया जायेगा। पक्के कार्यो का निष्पादन एवं मापन अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तथा इन पक्के कार्यो का सत्यापन भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2– उक्त कार्य हेतु मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक मण्डल स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे तथा अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) मुख्यालय स्तर पर समन्वय हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

3– मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा अपने मण्डल से संबंधित सूचना संकलित कर संस्तुति सहित मुख्यालय स्थित अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) कृषि भवन, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक संकलित सूचना/सत्यापन रिपोर्ट संस्तुति सहित कृषि निदेशक के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3603(1)/12–3–2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– अपर कृषि निदेशक (भू.सं.) कृषि भवन, लखनऊ।
3– संयुक्त कृषि निदेशक (राष्ट्रीय जलागम/बाढ़ोन्मुखी नदी योजना) कृषि भवन, लखनऊ।
4– संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) कृषि भवन, लखनऊ।
5– समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक (भू.सं.),/समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– कृषि अनुभाग–1/4
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
विशेष सचिव।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(भूमि संरक्षण अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ

पत्रांक्–भू0सं0/अभि0/127–15 /2012–13 दिनॉक : अप्रैल 10 ,2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त सेल हेड, भूमि संरक्षण अनुभाग, कृषि भवन, लखनऊ।

(देव मित्र सिंह)
कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।